न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 464 सन 2018

अनवान :–

1. अमरसिह 2 महावीर 3 श्रीराम 4 मुकेश कुमार 5 राकेश पुत्रगण भागीरथ जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर
2. तीजा पुत्री तारूराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
3. कृष्णा 4 शारदा 5 सीमा पि0 भागीरथ जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 24.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा नीमला के खाता संख्या 143/89 की कुल 38.140है में से 1/2 हिस्सा भूम प्रतिवादी संख्या 1 भागीरथ के व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 तीजा के नाम से दर्ज है जो पूर्व मे वादीगण के दादा तारूराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उसके दादा तारूराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनों को समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने वकील वादी का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा तारूराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात वाद भूमि वादी के दादा तारूराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसकी बहन प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 2 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है वादीगण के कथन को प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा में पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों को सुरक्षित रखने के लिये स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 143/89 के खसरा न0 23 की 7.6260हैक, 179 की 8.5240हैक , 438 की 3.9960 ,615 की 3.7310हैक , 628 की 8.2200हैक कुल 32.097हैक भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा खसरा न0 613 की 6.0070हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 तीजा खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official